



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ac89d591149b7a7a68fa

Receipt Date : 01-Aug-2025 06:41:18 pm

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Bond

District Name : Koderma

Stamp Duty Paid By : Anjuman bajme chishti core committee

Purpose of stamp duty paid : Bond

First Party Name : Anjuman bajme chishti core committee

Second Party Name : Nil

GRN Number : 2503687676

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

शाहगंज मरकच्चो कोर कमेटी बावत एकरारनामा सह सेवानामा

विषय :- मैं मुर्शीद आलम संयोजक ग्राम मुहल्ला शाहगंज मरकच्चो, जिला-कोडरमा, झारखण्ड का निवासी मैंने 05 दिनों से लगातार कड़ी मेहनत कर एक 04 पन्नों का उल्लेख किया हुआ अपने मुहल्ले शाहगंज जो मरकच्चो बाजार से लेकर नदी टाँड तक बसे हुए हर एक गली के घर-घर के लोगो को दिया तथा हर गली के लोगों को एकट्ठा कराकर मौखिक रूप से लेखन को पढ़ तथा पढ़ाकर उसके लाभ फ़ैयदे से अवगत कराया साथ ही साथ जो लोग नहीं मिले उनको मोबाईल मिडिया के माध्यम से जैसे वॉटसउप ग्रुप जिसमें मुहल्ले के दो सौ लोग लगभग जुड़े हैं तथा मोबाईल से फोन करके अवगत कराया। उसके बाद सभी गली के लोगों से कोर कमेटी बावत मिटिंग करने का फ़ैसला लिया जिसमें मुहल्ले के हर गली से 2, 3, 04 व 05 लोग हर गली से 30.07.2025 को सकिल मस्तान (मासुम मस्तान) के प्रागन में शामिल हुए और जो लोग नहीं आ सके उनलोगों को मिटिंग के बारे में बताया गया। जिसका नाम दिया जा रहा है इन दिए गए मेम्बर मे से कोई सुस्त पड़े तो उसे बदला जा सकता है।

1. मो० सबा अहमद पिता अफसर हुसैन,
2. मो० निशार आलम पिता स्व० रब्बानी शाह,
3. गुलाम गौस पिता स्व० अब्दुल वहाब शाह,
4. असलम बावर्ची पिता स्व० सैकुल शाह,
5. एहसार आलम पिता स्व० यूनुस शाह,
6. सज्जाद शाह पिता स्व० गनी शाह,
7. एयाज अहमद पिता स्व० जहुर शाह,
8. जहाँगीर आलम पिता मो० लईक शाह,
9. शाह अब्दुल हबीब पिता स्व० मोईन शाह,
10. दिलदार आलम पिता स्व० हनीफ शाह,

11. आविद हुसैन पिता स्व० खैरातु शाह,
12. मोईज अहमद पिता स्व० मौलवी शफीक शाह,
13. जवेद हवारी पिता स्व० समसुल हवारी,
14. सद्दाम अंसारी पिता अली अंसारी,
15. कमाल शाह पिता स्व० फारुक शाह,
16. अरशद शाह (मिस्त्री) पिता स्व० तहारत शाह,
17. मिस्टर आलम (ड्राइवर) पिता स्व० होसैन शाह,
18. जवेद आलम (मुखिया) पिता स्व० मुस्तफा शाह,
19. मोदस्सीर आलम पिता अबरार आलम,
20. शकिल अहमद पिता सौकत मस्तान,
21. सहबान शाह पिता स्व० लुकमान शाह,
22. मे० तसउत्तुर आलम पिता हफिज शमीम शाह,
23. मकबुल अंसारी पिता हुसैन अंसारी,
24. आरिफ अंसारी पिता स्व० हाफिज लेयाकत अंसारी,
25. जहिद रजा पिता अंसार शाह,
26. असगर हुसैन पिता मकसुद शाह,
27. रौशन शाह पिता स्व० हातिम शाह,
28. बसीर शाह पिता असगर शाह,
29. मतीन अलवी पिता स्व० अतिक शाह,
30. हसनैन आलम पिता कासिम शाह,
31. मोख्तार शाह पिता अमीरुद्दीन शाह,
32. मो० कमाल शाह पिता मो० मोजीम अहमद,
33. मोजम्मील आलम पिता स्व० मो० महबुब आलम,
34. नजीब आलम पिता अंसार शाह,
35. इनकेसार आलम पिता एकरार अहमद,

36. सलामुल आलम पिता इसरार अहमद,

सभी दिए गए लोंगो से राय मशवरा कर एक कमेटी गठन करने का निर्णय करने का तय पाया, जो इस तरह से है :-

1. यह कि कॉमेटी का नाम अंजुमन बजम चिस्ती कोर कॉमेटी होगा।
2. यह कि कॉमेटी रजिस्ट्रड हागा। कॉमेटी का अपना बैंक खाता होगा। कॉमेटी का अपना ऑफिस होगा। जहाँ से कॉमेटी का कार्य भार हिसाब-किताब बात विचार तथा कम्प्यूटर, लैपटोप, अकोन्टेड वगैरह होगा जिससे कॉमेटी का सभी मेम्बर के सामने पारदर्दिस्ता बनी रहे।
3. यह कि कॉमेटी का सभी मेम्बर सख्त सरैयत नियमो के साथ बोनडेड रहेगे ताकि किसी के साथ भेद-भाव, फ़ैमलीवाद, परिवारवाद, जातिवाद एवं समूहवाद से दुर रहेगें और सभी मुहल्ला वासी के जायज कामों में अपनी-अपनी भागीदारी निभाऐगे।
4. यह कि कॉमेटी संयुक्त रहेगा किसी भी तरह का अंदुरीनी या बाहरी दबाव नहीं रहेगा और नहीं रद्द या खत्म होगा यह हमेशा-हमेशा के लिए रहेगा। जरूरत पडने पर मेम्बर बदला जा सकता है। पर कोर कमेटी एक ही रहेगा।
5. यह कि कॉमेटी सभी के हक में काम करेगा। किसी भी जाति या समूह का दबाव में नहीं आयेगा। हर वर्ग को साथ लेकर चलेगा। सभी का समान्य अधिकार होगा।
6. यह कि गाँव के कोई भी अंजुमन जो फ़ैसला पंचायत में कॉमेटी के मेम्बरो के साथ रायमशवरा कर फ़ैसला या पंचायत करेंगे। ताकि कोई एक व्यक्ति फ़ैसला ना ले सके।
7. यह कि कॉमेटी तथा कॉमेटी के बावत मेम्बरो के साथ कोई अन्य व्यक्ति किसी भी तरह की अभ्रद टिपणी या वद-विवाद करते पाया

गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त रवैया अपना कर मेम्बरों द्वारा कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे।

8. यह कि सभी ग्रामवासी इस कॉमेटी से लाभ उठाएंगे। कॉमेटी सभी ग्रामवासी के साथ साफ-सुथरा रवयया अपनायेगे।
9. यह कि ग्रामवासी को किसी तरह के कॉमेटी से लाभ या उससे जुड़े अपनी राम मश्वरे बतानी हो तो कॉमेटी के मेम्बर या कॉमेटी के दफ्तर के बाहर लगे लेटर बॉक्स में अपनी-अपनी बात लिखतन के रूप में देंगे न की यहाँ-वहाँ बोलेंगे या बताये चलेगे।
10. यह कि कॉमेटी के मेम्बरो मस्जिद में नमाज के वक्त सोर शराबा होने से शांत रखेगे। यदि नहीं माने तो उसपे सख्त रवयया अपनायेगें साथ ही साथ मजार या कब्रिस्तान के कामों में बेहतर कदम उठायेगे।
11. यह कि कॉमेटी का अपना फंड होगा जो हमही लोगों से होगा। कॉमेटी के लोग अपने-अपने गली में रहने वाले व्यक्ति जो अपना धंधा-पानी करते है उन तमाम लोगो को कॉमेटी के मदद बॉक्स (बक्सा) दिया जायेगा। जिसमें प्रत्येक कमाने वाले व्यक्ति कम से कम 10 रूपया या उससे ज्यादा प्रतिदिन बॉक्स में जमा करेंगे उस बॉक्स में ताला लगा रहेगा। जो गली के मेम्बरों द्वारा महिना पुरा होते ही उसमें से जमा रूपया निकालकर एकट्ठा कर रजिस्ट्रड मेन्टन के साथ ऑफिस में जमा करेगाप। सभी गली से आया हुआ रूपया जमा कर बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा। बॉक्स का चाभी गली के मेम्बर के पास रहेगा। यह पैसा प्रत्येक माह कॉमेटी के एकाउन्ट में जमा होगा।
12. यह कि जो जमा रूपया 05 वर्षों तक युज में नहीं लिया जायेगा। तमाम मेम्बर मिलजुलकर कोई आफत बला दुनियावी या आसमानी या

बहुत जरूरी होने पर तमाम मेम्बरो के राय मशवरे से कुछ रकम जरूरत के हिसाब से निकाल जा सकेगा।

13. यह कि इस कॉमेटी के बैंक के खाते में तीन लोगों का नाम दर्ज होगा जो तीन लोगों के नाम से बैंक खाता होगा जिसमें एक अंसारी बेरादरी और दो शाह बेरादरी के नाम से होगा।
14. यह कि कॉमेटी में दिए गए तमाम मेम्बर एक-दूसरे के साथ राय-मशवा करके काम करेंगे तथा एक-दूसरे का अदबो एहताराम करेंगे। कोई भी किस्त का बेअदवी नहीं करेंगे। किसी मेम्बर से कुछ भी कमी या सिकवा सिकायत हो तो सभी मेम्बर बैठक बुलाकर गलतफहमी दूर करेंगे। कॉमेटी की गरीमा का ख्याल रखेंगे। यदि कोई मेम्बर कॉमेटी के खेलाफवर्गी पाया गया तो उसके खेलाफ कडी से कडी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसमें सभी मेम्बरो को साथ देना अनिवार्य होगा।
15. यह कि हमलोग अपने-अपने गली में कोई तरह का वर विवाद झगडा फसाद के बीच में आकर बीच-बचाव कर मामला रफा-दफा कर शांति बनाये रखेगे। यदि उस गली में मेम्बर की कमी हो तो दुसरे गली के मेम्बरों को बुलाएंगे ताकि शांति बहाली हो सके।
16. यह कि मेम्बरो का मोबाईल नम्बर हर गली में पोस्टर किया रहेगा। ताकि जरूरत पडने पर बुलाया जा सके। मेम्बरो को बुलाने पर पहुँचना जरूरी होगा यदि पहुँचने में बिना कोई कारण देर किए या नहीं पहुँचे तो वैसे मेम्बर को 500/- रुपया जुर्माना के तहत देना होगा। यह रुपया कॉमेटी के खाते में जमा होगा। यदि कोई मेम्बर बाहर है तो जरूरत समझकर अपने घर के कोई सदस्य को भेजना जरूरी होगा।

17. यह कि कॉमेटी में बाहरी लोग मदद देना चाहे या किसी और तरफ से रुपया आये तो यह रुपया कॉमेटी का होगा।
18. यह कि जरूरत पडने पर मस्जिद या मदरसे का कार्यभार सम्भाला जाएगा।
19. यह कि हर पाँच साल में हर गली से चुने हुए मेम्बरो को इसी बॉण्ड के तहत बॉण्ड किया जाएगा। साफ है कि यह सेवा है किसी का जोर जबरदस्ती नहीं।

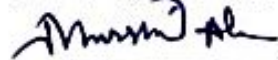
यह कि उपरोक्त एकरारनामा में वर्णित सभी बातों को उभय पक्षपूर्ण होशो हवास में रहकर अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वाकर सुन समझ लिया तथा अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया ताकि वक्त पर काम आवे।

ग्रामीणों का हस्ताक्षर

मुर्शीद आलम कॉमेटी संयोजक

अंजुमन बजम चिस्ती कोर

कॉमेटी शाहगंज मरकच्चो



सदस्य का हस्ताक्षर

